

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.नि.स./2015/798

दिनांक : 08.09.2015

कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) एवं आशुलिपिक ग्रेड-II (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2015

- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर हेतु आशुलिपिक ग्रेड-II (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार ₹ 13200/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं (परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें रनिंग पे-बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 3600/- देय होगा)।

विशेष नोट:-

- Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) एवं Online Fee जमा कराने हेतु जारी दिशा-निर्देशों (Guide-lines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> एवं ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण:-

I. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर हेतु कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी)

| Category-wise Backlog vacancies:- | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| UR(GEN) | SC | ST | OBC | TOTAL |
| - | 06 (01 for women) | 05 (01 for women) | - | 11 |
| Category-wise Current vacancies:- | | | | |
| UR(GEN) | SC | ST | OBC | TOTAL |
| 51 (10 for women) | 15 (03 for women) | 11 (02 for women) | 20 (04 for women) | 97 |
| Grand Total: | | | | |
| 51 | 21 | 16 | 20 | 108 |

Note: Out of total 108 posts, 4 posts for the Persons with Disabilities and 2 posts for Outstanding Sports Persons are reserved and such reservation is horizontal.

II. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर हेतु आशुलिपिक ग्रेड-II (2 अंग्रेजी + 3 हिन्दी)

| Category-wise Current vacancies:- | | | | |
|--|----|----|-----|----------------------|
| UR(GEN) | SC | ST | OBC | TOTAL |
| 04 | - | - | 01 | 05 (01 for women) |

विशेष नोट:- विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें।

नोट :-

- उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- निःशक्तजन के आरक्षण के संन्दर्भ में:-

(अ) Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार निःशक्तजन के लिए आरक्षित दर्शाये गये उपरोक्त पद Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.), Hearing Impaired एवं Visual Impaired अक्षमताओं की प्रकृति वाले आवेदकों के लिये आरक्षित है। उक्त आरक्षित पद निम्न प्रकार से अभिव्यक्त की गई अक्षमताओं के आवेदकों हेतु हैं।

8.9.15

Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.)

O.L. – One leg affected (R or L)

B.L. – Both leg affected (Mobility not to be restricted)

O.A. – One Arm affected (R or L)

O.A.L. – One Arm & One Leg affected (Mobility not to be restricted)

Visual Impaired (Blind & Low Vision)

B – Blind (Mobility not to be restricted)

LV – Low Vision (Mobility not to be restricted)

Hearing Impaired

HH – Hearing Impaired

(ब) निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का निःशक्त आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित श्रेणी (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जावेगा।

(स) निःशक्तता की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान सरकार के नियमानुसार तीन चिकित्साधिकारियों वाला गठित बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र **निर्धारित प्रारूप में** प्रस्तुत करना होगा। Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता दर्शाते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

4. आउट स्टेडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (Outstanding Sports Person) के आरक्षण के संदर्भ में:-

‘Outstanding Sports Persons’ shall mean and include the Sports Persons belonging to the State who have participated individually or in Team in the Sports and games recognized by the International Olympic Committee and Indian Olympic Association or, in International Championships in Badminton, Tennis, Chess and Cricket recognized by their respective National Level Association, Federation or Board, with the following description;

Has represented India in Asian Games, Asian Championships, Common Wealth Games, World Championships, World University Games, World School Games, Saarc Games or Olympic Games where he (in an individual item) or his team (in a team event) has obtained 1st, 2nd or 3rd position.

5. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
6. महिलाओं, आउट स्टेडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स (Outstanding Sports Persons) एवं निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को भी नियमानुसार प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
7. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
9. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
10. आरक्षण के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
11. वे अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों पदों (कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) एवं आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय (अंग्रेजी)) हेतु आवेदन किया है, को उनकी मेरिट सह प्राथमिकता (Merit cum Preference) के आधार पर पदों की उपलब्धता के अधीन दोनों में से किसी भी विभाग हेतु चयन सूची में स्थान देय होगा।

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-**

1. अभ्यर्थी का भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो कि सरकार द्वारा इस हेतु मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक की उपाधि धारित करना अनिवार्य है; तथा (Candidate must be a graduate from any university established by Law in India or its equivalent examination from any university recognized by the Government for the purpose); and
2. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना अनिवार्य है। (Must have basic knowledge of Computer)

4. **राष्ट्रीयता:-**

सेवा में नियुक्ति हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। (A candidate for appointment to the service must be a citizen of India)

5. **आयु:-**

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years, on the first day of January preceeding the last date fixed for submission of the application.

PROVIDED that:

- (1) the upper age limit shall be relaxed by five years in the case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Women candidates;
- (2) there shall be no restriction as to age for candidate already serving in connection with the affairs of the State in a substantive or in a temporary capacity, having been so appointed prior to his attaining the age of 33 years: PROVIDED that the temporary appointment is permissible under the relevant Rules applicable to service to which the person belongs and is made in accordance with these Rules;
- (3) that there shall be no age limit in the case of widow and divorcee women candidate;
- (4) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 47 years.

EXPLANATION- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of the husband from the competent authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

8.9.15

6. **परीक्षा शुल्क:-**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा ₹ 100/- परीक्षा शुल्क के रूप में देय होंगे। राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक तथा समस्त विधवा या तलाकशुदा महिला आवेदको एवं निःशक्तजन के मामले में ₹ 25/- परीक्षा शुल्क के रूप में देय होंगे।

7. **परीक्षा शुल्क की वापसी:-**

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

8. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ:-**

No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the commencement of these rules:

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase:

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

EXPLANATION: For the purpose of this sub rule, child born within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

नोट :- राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) का नियम 9ए दिनांक 29.09.2005 को लागू (Commence) हुआ है।

9. **चयन की रीति:-**

प्रतियोगी परीक्षा में श्रुतिलेख का शीघ्रलिपि में लिखना एवं उसका कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी में निम्नानुसार प्रतिलेखन सम्मिलित है :-

| Jr. Personal Assistant/Stenographer Gr. II (English) | Duration | Speed of Dictation | Marks |
|--|------------|---------------------|----------|
| English Shorthand | 8 Minutes | 90 words per minute | 50 Marks |
| Transcription and typing of Dictated passage in English on Computer. | 60 Minutes | - | |
| Stenographer Gr. II (Hindi) | Duration | Speed of Dictation | Marks |
| Hindi Shorthand | 8 Minutes | 75 words per minute | 50 Marks |
| Transcription and typing of Dictated passage in Hindi on Computer. | 70 Minutes | - | |

नोट :- आशुलिपि परीक्षा में शीघ्रलिपि गति एवं कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन गति की गणना राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) में विहित रीति के अनुसार की जायेगी।

10. **आवेदन प्रक्रिया:-**

आवेदन केवल Online Application के रूप में ही लिये जाएंगे। **हाथ से भर कर या अन्य किसी भी रूप में प्रेषित आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

(अ) Online Application भरने से पूर्व आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर एक **यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number)** प्राप्त (Generate) करना अनिवार्य होगा; जो निम्न प्रकार से परीक्षा शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है :-

I. **राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से:-** किसी आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर एक यूनिक टोकन नम्बर (UTN) प्राप्त किया जा सकेगा। इस हेतु उसे ₹ 10/- की राशि संबंधित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, जिसकी कियोस्क/केन्द्र द्वारा रसीद जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा फीस जमा करवाते समय निम्न सूचनाएँ ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) संचालक को आवश्यक रूप से सही-सही उपलब्ध करानी होगी **क्योंकि इन सूचनाओं में Online Application भरते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा:-**

- Name of Examination
- Post applied for
- Name of Applicant
- Father's Name
- Date of Birth
- Domicile/Bonafide resident
- Category [SC/ST/OBC(Creamy layer/Non Creamy layer)/General]
- Gender
- Marital Status
- Category (Persons with Disabilities)

8.9.15

नोट:-

- (1) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस सुविधा का उपयोग करते हुए निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि अदा करने से पूर्व ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcrainic.in> पर इस संबंध में उपलब्ध दिशा-निर्देशों (Guidelines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे।
- (2) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक ही जमा की जाएगी, उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जाएगी तथा ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) पर यह राशि केवल नकद ही स्वीकार की जावेगी।
- (3) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर प्राप्त किया गया यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number), आवेदक द्वारा तत्पश्चात् आवेदन पत्र नहीं भरने की स्थिति में, परीक्षा शुल्क की राशि वापस प्राप्त (Refund) करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत केवल 2 दिवस के भीतर ही निरस्त कराया जा सकेगा लेकिन अदा किये जा चुके सेवा शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस प्राप्त (Refund) नहीं की जा सकेगी।
- (4) राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क व नागरिक सेवा केन्द्रों (C.S.C.) की सूची, दूरभाष नम्बर व अन्य आवश्यक सूचनाएँ ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (5) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा शुल्क जमा करवाने की रसीद, जिस पर यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number) अंकित है, को सुरक्षित रखें क्योंकि यह Online Application भरने के लिए आवश्यक है।

- II. **स्वयं के स्तर पर/समुचित संसाधनयुक्त साइबर कैफे के माध्यम से :- यदि समुचित संसाधन यथा: इन्टरनेट सुविधा युक्त डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप उपलब्ध हो:** इसके लिए आवेदक राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcrainic.in> पर उपलब्ध ई-मित्र पोर्टल के लिंक <http://emitra.gov.in> का उपयोग करते हुए नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से Axis Bank/ICICI Bank/M/s IndiaIdeas.com (Billdesk)/M/s PayUIndia/HDFC Bank/Bank of Baroda Payment Gateway या तत्समय उपलब्ध अन्य किसी Payment Gateway के जरिये निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर एक यूनिक टोकन नम्बर प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए ई-मित्र को सेवा शुल्क के रूप में देय ₹ 10/- की राशि एवं संबंधित Payment Gateway को देय निर्धारित सेवा शुल्क (Applicable Charges) की राशि स्वयं आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।

विशेष नोट :- आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि फीस जमा कराते समय सूचनाएँ यथा Name of Applicant, Father's Name, Date of Birth etc., दस्तावेजों के आधार पर सही-सही भरें क्योंकि Online Application भरते समय इन सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

नोट :-

- (1) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस सुविधा का उपयोग करते हुए निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि अदा करने से पूर्व ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcrainic.in> पर इस संबंध में उपलब्ध दिशा-निर्देशों (Guidelines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे।
- (2) नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक अर्थात् Online Application के पोर्टल के निष्क्रिय होने से 24 घन्टे पूर्व तक ही जमा की जा सकेगी। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।
- (3) नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु उपलब्ध Payment Gateway की सूची एवं उनके द्वारा वसूली योग्य शुल्क Processing Charges का विवरण ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (4) साइबर कैफे के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर यूनिक टोकन नम्बर (UTN) प्राप्त करने की स्थिति में साइबर कैफे द्वारा वसूल की जाने वाली सेवा शुल्क की राशि स्वयं आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

विशेष नोट :-

1. इस सुविधा का उपयोग करते हुए एक बार टोकन नम्बर प्राप्त कर लेने पर, चाहे आवेदक तत्पश्चात् आवेदन करे अथवा नहीं, उसे किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा फीस वापसी अनुज्ञेय नहीं होगी।
2. फीस जमा कराने के उपरान्त online application भरने के लिये आवेदक राजस्थान उच्च न्यायालय कि अधिकारिक वेब साइट (www.hcrainic.in) पर लॉग-इन करें।

(ब) किसी भी आवेदक द्वारा Online Application निम्न प्रकार भरा जा सकता है:-

- I. **स्वयं के स्तर पर :-** यदि समुचित संसाधन यथा: डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप व इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हो तो अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साइबर कैफे आदि) के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकता है।
- II. **राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से :-** किसी आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आवेदन भरने की स्थिति में उसे ₹ 25/- की राशि संबंधित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, जिसकी कियोस्क/केन्द्र द्वारा रसीद जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा अपना फोटो ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से खिंचवाने की दशा में ₹ 5/- पृथक से देय होंगे।

विशेष नोट :-

Online Application भरने के लिए आवेदक को, निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करने पर प्राप्त (Generate) होने वाला यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number) उपयोग में लेना होगा, इसके लिए वह ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से परीक्षा शुल्क अदा करने की स्थिति में प्राप्त यूनिक टोकन नम्बर युक्त रसीद को सुरक्षित रखेगा तथा नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा

8.9.15

शुल्क अदा करने की स्थिति में प्राप्त (Generate) होने वाली यूनिट टोकन नम्बर (UTN) युक्त रसीद को Download कर अथवा Print-out लेकर सुरक्षित रखेगा।

नोट :-

- (1) Online Application भरने में सुविधा के लिए आवेदक सर्वप्रथम आवेदन-पत्र का प्रारूप (Format) राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> से डाउनलोड कर उसे हाथ से भर ले तथा आश्वस्त हो जावे कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गयी हैं।
- (2) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से Online Application भरने की स्थिति में आवेदक को वहां पर भी आवेदन-पत्र का प्रारूप (Format) निःशुल्क उपलब्ध होगा, इसलिए आवेदक उक्त प्रारूप को हाथ से भर ले तथा आश्वस्त हो जावे कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गयी हैं तत्पश्चात् उसे ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के संचालक को Online Application तदनुसार भरने हेतु प्रस्तुत करें ताकि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी जा सकें।
- (3) आवेदक को आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन इमेज (Scanned Image) अपलोडिंग हेतु तैयार रखनी चाहिए। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से Online Application भरने की स्थिति में ऐसी इमेज आवेदक द्वारा पेन ड्राईव में रक्षित कर संबंधित ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) संचालक को प्रस्तुत की जा सकती है। यदि आवेदक अपना फोटो ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) द्वारा खिंचवाना चाहता है तो उसे इस हेतु ₹ 5/- पृथक से देने होंगे।
- (4) आवेदक द्वारा Online Application भरने पर उसे एक आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त (Generate) होगा जो इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में दर्ज हो चुका है। **आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) की अप्राप्ति इस तथ्य का द्योतक है कि अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में दर्ज नहीं हुआ है।** आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) की, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> से ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) का प्रिन्ट-आउट (Print-out) लेने हेतु एवं रजिस्ट्रार (परीक्षा) को किये जाने वाले समस्त पत्राचार हेतु आवश्यकता होगी इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त हो गया है। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने (save) करने के उपरान्त भी यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक तुरन्त हेल्प लाईन पर अथवा जरिये ई-मेल, रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में संपर्क करें।
- (5) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) या ई-मित्र पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई/जानकारी/सहायता के लिए ई-मित्र के पोर्टल www.emitra.gov.in पर उपलब्ध Link 'Help Center' पर जाकर ई-मित्र के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है अथवा निम्न पर भी सम्पर्क किया जा सकता है :-
 - i. CCC (Citizen Contact Center)
Number (Toll Free) 1800 180 6127
e-mail ID- ccc.emitra@gmail.com
 - ii. Contact at e-Mitra Technical Support
CSE - Customer Support Engineer -
Mobile Number - 9571999942/9571999943
e-mail ID- emitra.support@gmail.com

11. ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा :-

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) भरने की समय सीमा दिनांक **11.09.2015** को प्रातः **11.00** बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक **06.10.2015** को रात्रि **11:59** बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के अन्दर यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक अर्थात् Online Application के पोर्टल के निष्क्रिय होने से 24 घण्टे पूर्व तक ही जमा की जा सकेगी। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।

12. आवेदन कैसे करें :-

कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे।
नोट :- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

1. ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इसलिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों को अन्तिम रूप से प्रेषित "(Save)" कर देने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

8.9.15

13. महत्वपूर्ण तिथियां :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन भरने की समय सीमा दिनांक :- **11.09.2015** से दिनांक **06.10.2015** रात्रि **11:59** बजे तक।
(ii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक :- **05.10.2015**

14. परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर में आयोजित की जायेगी किन्तु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा जोधपुर के साथ-साथ जयपुर में भी आयोजित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र का आवंटन जयपुर अथवा जोधपुर में से किये जाने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। **परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से जरिये वेबसाइट प्रसारित की जाएगी।**

15. अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में मौलिक/अस्थायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हो, को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

16. प्रवेश-पत्र (Admission Card) :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र वेबसाइट <http://www.hcranj.nic.in> के माध्यम से Online ही जारी किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। आवेदक (i) अपनी जन्म दिनांक (Date of Birth) एवं (ii) रोल नम्बर (Roll Number) के आधार पर अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (Download) कर सकेगा। **इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।** उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के अनुसार प्रवेश-पत्र जारी करने सम्बन्धी सूचना आवेदक की ई-मेल आई.डी. (e-Mail ID) एवं मोबाईल नम्बर पर भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं किन्तु इस हेतु उन्हें ₹ 5/- शुल्क के रूप में देने होंगे।

17. महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-


- समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (On being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
- परीक्षा का परिणाम केवल सफल अभ्यर्थियों को ही व्यक्तिगत रूप से संसूचित किया जायेगा किन्तु सम्पूर्ण परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट <http://www.hcranj.nic.in> पर अपलोड करके भी संसूचित किया जायेगा।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।
- जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यता: पालना करनी होगी।
इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित कानूनी एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- अनुचित साधनों की रोकथाम :- परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण का (Impersonation) या कूट रचित/छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) का या अशुद्ध/असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) का या तात्विक सूचनाओं को छिपाने का (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या करने का प्रयास करने का (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या किसी साक्षात्कार हेतु बुलावा प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview) दोषी पाया जाता है या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, वह आवेदक/परीक्षार्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त करने से वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा।

8.9.15

राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट एवं हैल्प लाईन:-

आवेदक, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध सूचनाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता/ मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली हैल्प लाईन (Help Line) के दूरभाष सं० 0291-2541042 एवं 2541388 पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में स्थापित किये जाने वाले कन्ट्रोल रूम पर व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जावे।


8.9.15
रजिस्ट्रार (परीक्षा)